राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या 434/2015/जयपुर

राजस्थान सरकार जरिए उप पंजीयक–सांगानेर (द्वितीय)
जयपुर, तहसील एवं जिला–जयपुर(राज.) ....प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती प्रेमवती पत्नि श्री जय प्रकाश गुप्ता
पुत्र स्व. श्री जसवंत सिंह गर्ग, निवासी–प्लाट नं.–19,
शक्ति नगर, गोपाल पुरा बाईपास, जयपुर (राज.)

2. श्री शिवप्रकाश गुप्ता पुत्र स्व. श्री जय प्रकाश गुप्ता
पुत्र स्व. श्री जसवंत सिंह गर्ग, निवासी–49/5, स्ट्रीट नं. 14,
आजाद नगर, दिल्ली हाल निवासी प्लाट नं.–19,
शक्ति नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर (राज.)

3. श्री अशोक कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्री जय प्रकाश गुप्ता
पुत्र स्व. श्री जसवंत सिंह गर्ग, निवासी–जी–843, जी–5,
कलिसा अपार्टमेंट, ज्योंति नगर, दिल्ली–94 हाल निवासी
प्लाट नं.–19, शक्ति नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर (राज.)

4. श्रीमती सुष्मा गोयल पत्नि श्री चन्द्र प्रकाश गोयल
पुत्री स्व. श्री जय प्रकाश गुप्ता पुत्र स्व. श्री जसवंत सिंह गर्ग,
निवासी–विजय मण्डी, मेन रोड़, गुराद नगर, गाजियाबाद (यू.पी.)
हाल निवासी प्लाट नं.–19, शक्ति नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर (राज.)

5. श्रीमती उमा गुप्ता पत्नि श्री कुलभूषण गुप्ता
पुत्री स्व. श्री जय प्रकाश गुप्ता पुत्र स्व. श्री जसवंत सिंह गर्ग,
निवासी–एफ.–162, एस.–1, दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली
हाल निवासी प्लाट नं.–19, शक्ति नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर (राज.)

6. श्री गोवर्धन दास गोयल पुत्र स्व. श्रीमती शकुंतला देवी
पुत्री स्व. श्री जसवंत सिंह गर्ग, निवासी–के–एच–97,
न्यू कवि नगर, गाजियाबाद हाल निवासी प्लाट नं.–19,
शक्ति नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर (राज.)

7. श्री मनोज कुमार गोयल पुत्र स्व. श्रीमती शकुंतला देवी
पुत्री स्व. श्री जसवंत सिंह गर्ग, निवासी–के–एच–97,
न्यू कवि नगर, गाज़ियाबाद हाल निवासी प्लाट नं.–19,
शक्ति नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर (राज.)

8. श्रीमती कुसुम गुप्ता पत्नि श्री के.सी.गुप्ता
पुत्री स्व. श्रीमती शकुंतला देवी पुत्री स्व. श्री जसवंत सिंह गर्ग,
निवासी–द्वितीय–बी–63, नेहरू नगर, गाज़ियाबाद
हाल निवासी प्लाट नं.–19, शक्ति नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर (राज.)

9. श्रीमती रमा जैन पत्नि श्री पवन कुमार जैन
पुत्री स्व. श्रीमती शकुंतला देवी पुत्री स्व. श्री जसवंत सिंह गर्ग,
निवासी–बी.एम.–173, शालीमार बाग, नई दिल्ली,
हाल निवासी प्लाट नं.–19, शक्ति नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर (राज.)

10. श्रीमती बीना बंसल पत्नि श्री देवेंद्र बंसल
पुत्री स्व. श्रीमती शकुंतला देवी पुत्री स्व. श्री जसवंत सिंह गर्ग,
निवासी–जे. एण्ड के. 77, लक्ष्मी नगर, दिल्ली
हाल निवासी प्लाट नं.–19, शक्ति नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर (राज.)

11. श्रीमती निशा जैन पत्नि श्री पंकज जैन
पुत्री स्व. रीमती शकुंतला देवी पुत्री स्व. श्री जसवंत सिंह गर्ग,
निवासी–बी.एम.–173, शालीमार बाग, नई दिल्ली,
हाल निवासी प्लाट नं.–19, शक्ति नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर (राज.)

12. श्री सत्य प्रकाश गुप्ता पुत्र स्व. श्री जय प्रकाश गुप्ता
जाति महाजन निवासी प्लॉट नं.–19, शक्ति नगर,
गोपालपुरा बाईपास, जयपुर (राज.) .....अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री नत्थूराम–सदस्य

उपस्थितः
श्री जमील जई,
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से
अनुपस्थित .....अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक :– 09.08.2018

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी विभाग द्वारा विद्वान अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक) जयपुर, वृत्त–जयपुर (जिसे आगे **'कलक्टर'** कहा गया है) के द्वारा प्रकरण संख्या 545/2011 में पारित आदेश दिनांक 09.07.2014 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उप पंजीयक सांगानेर द्वितीय के कार्यालय में पंजीबद्ध दस्तावेज संख्या 604/10 को आंतरिक लेखा जांच दल के निरीक्षण में आक्षेपित किया गया कि उप पंजीयक सांगानेर द्वारा हकत्याग पैतृक के रूप में पंजीबद्ध किया गया है। दस्तावेज के पृष्ठ 3 एवं 4 के तहत उक्त हकत्याग की गई सम्पत्ति मूल रूप से कृष्ण स्वरूप गर्ग पुत्र श्री जसवंत सिंह द्वारा क्रय की गई एवं कृष्ण स्वरूप गर्ग, जयप्रकाश गुप्ता एवं शकुंतला देवी का भाई है और कृष्ण स्वरूप गर्ग अविवाहित था जिसकी मृत्यु दिनांक 18.12.2009 को हो गई थी। चूंकि कृष्ण स्वरूप गर्ग की सम्पत्ति में उसके भाई के एवं बहन के बच्चों द्वारा हकत्याग करने से ना तो यह सम्पत्ति पैतृक की श्रेणी में आती है और ना ही आर्टिकल 48 (अ) के तहत अंकित रिश्तों में आती है। इस प्रकार इस पर आर्टिकल 48 (बी) के तहत कुल मूल्यांकन रूपये 12,26,152/– पर कमी मुद्रांक कर राशि रूपये 73,480/– देय मानते हुए उप पंजीयक ने कमी मुद्रांक कर मय शास्ति वसूली हेतु रेफरेन्स प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में प्रेषित किया जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहस उभय पक्ष सुन प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स निर्णय दिनांक 09.07.2014 द्वारा निरस्त किया गया जिसके विरूद्ध प्रार्थी/विभाग द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3. निगरानी दर्ज की जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

4. बहस विद्वान उप राजकीय अभिभाषक एकपक्षीय सुनी गई।

5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कृष्ण स्वरूप की लाऔलाद मृत्यु होने से अप्रार्थीगण को मृतक की सम्पत्ति पुश्तैनी सम्पत्ति में प्राप्त नहीं हुई है बल्कि

२म/

लगातार.....3

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के आधार पर प्राप्त हुई है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8(बी) में कवर्ड होने से सम्पत्ति पुश्तैनी नहीं मानी जा सकती। इस आधार पर हकत्याग का दस्तावेज आर्टिकल 48(अ) की श्रेणी में न होकर 48(बी) की श्रेणी में है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है जिसे निरस्त किया जाकर रेफरेन्स स्वीकार किया जावे।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-

7. निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ होने, प्रार्थना पत्र में अंकित कारण कि प्रशासनिक प्रकिया में समय लगा है संतोषजनक होने, निर्णय गुणावगुण के आधार पर श्रेयस्कर होने के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद मानी जाती है।

8. विचाराधीन प्रकरण में प्रश्नगत दस्तावेज से संबंधित सम्पत्ति प्लाट नं. 19, शक्ति नगर, चौकड़ी हवाली शहर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर श्री कृष्ण स्वरूप द्वारा क्रय की गई थी तथा श्री कृष्ण स्वरूप के अविवाहित फौत होने के कारण उनकी मृत्यु के समय उनके माता, पिता, भाई व बहिन सभी की मृत्यु हो जाने के कारण उसके भाई जय प्रकाश एवं बहन शकुंतला के पुत्र एवं पुत्रीयों को सम्पत्ति हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अन्तर्गत द्वितीय श्रेणी के वारिसान होने के कारण उन्हें प्राप्त हुई है जिनके द्वारा जय प्रकाश के एक पुत्र सत्यप्रकाश के पक्ष में हकत्याग किया गया है। श्री कृष्ण स्वरूप के अविवाहित फौत होने के कारण तथा उनकी मृत्यु के समय उनके माता, पिता, भाई व बहिन सभी की मृत्यु हो जाने के कारण श्री कृष्ण स्वरूप की सम्पत्ति के हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत उनके (मृतक) के सगे भाई व बहिन के पुत्र व पुत्रीयां विधिक उत्तराधिकारी हुये जो उत्तराधिकारियों की पैतृक सम्पत्ति हुई एवं हकत्यागकर्तागण व हकत्यागगृहिता मृतक की सम्पत्ति में बराबर-बराबर के अविभाजित सह हिस्सेदार होने के कारण एवं विधिक वारिस होने के कारण आपस में उत्तराधिकारी व सह-हकदार हैं। सम्पत्ति हकत्यागकर्ताओं को विरासतन प्राप्त हुई है जिससे सम्पत्ति पैतृक मानी जाएगी एवं इस पर राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 के आर्टिकल 48(अ) के प्रावधान लागू होंगे। अधीनस्थ न्यायालय ने इस आधार पर रेफरेन्स अस्वीकार किया है जो विधिसम्मत है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निगरानीधीन निर्णय दिनांक 09.07.2014 यथावत रखा जाता हैं।

10. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य